न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
28 / 2024	2024 /	20.12.2024	21.04.2025

1. श्री प्यारचंद पिता धन्ना मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी बोमा मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री बाबुलाल पिता धन्ना मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी बोमा मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री वेस्ता पिता धन्ना मीणा उम्र व्यस्क
2. श्री गणेश पुत्र जीवला मीणा उम्र व्यस्क
3. श्री नानुराम पुत्र जीवला मीणा उम्र व्यस्क
4. श्री भैरूलाल पुत्र जीवला मीणा उम्र व्यस्क
5. श्री लक्ष्मण पुत्र जीवला मीणा उम्र व्यस्क
6. श्री विकास पुत्र जीवला मीणा उम्र व्यस्क
7. श्रीमती गंगा पुत्री जीवला मीणा उम्र व्यस्क
8. श्रीमती नवलीबाई पत्नि जीवला मीणा उम्र व्यस्क
9. श्री थावर चन्द्र पुत्र रतनलाल मीणा उम्र व्यस्क
10. श्री बालुराम पुत्र रतनलाल मीणा उम्र व्यस्क
11. श्री वजेराम पुत्र रतनलाल मीणा उम्र व्यस्क
12. श्रीमती लालीबाई पुत्री रतनलाल मीणा उम्र व्यस्क
13. श्रीमती बसंतीबाई पत्नि रतनलाल मीणा उम्र व्यस्क
समस्त निवासियान बोमा मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
14. श्रीमती मंगलीबाई पुत्री धन्ना मीणा उम्र व्यस्क पत्नि भीमा मीणा हाल निवासी चतरियाखेड़ी तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
15. श्रीमती लच्छीबाई उर्फ लक्ष्मी पुत्री धन्ना मीणा उम्र व्यस्क पत्नि अम्बालाल मीणा हाल निवासी बडा मजेसरीया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
16. श्री सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरगढ़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
17. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

:— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 10 प्रविष्ट दिनांक 20.05.1986 मौजा बोमा पटवार हल्का मनोहरगढ़ तहसीलदार प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उपस्थिति :—

1. श्री अशोक कुमार दक (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. स्वयं उपस्थित (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 14 व 15)
3. एकतरफा विरूद्ध (रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 13)
4. पैरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17)

—: आदेश :— दिनांक 21.04.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.05.1986 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बोमा पटवार हल्का मनोहरगढ़ तहसीलदार प्रतापगढ़ के खाता संख्या 92 में दर्ज आराजी संख्या 671 रकबा 0.78 हैक्टर एवं आराजी संख्या 684 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म चाह तथा आराजी संख्या 685 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 0.83 हैक्टर भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 के पैतृक मौरूषी (पिता एवं दादा श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा) की खातेदारी भूमियां रही है।

किन्तु श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से इन्तकाल के दौरान उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (वेस्ता पुत्र धन्ना) एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 11 के पिता (जीवला एवं रतन पुत्र धन्ना) के नाम ही खोला गया। जबकि अपीलार्थी (प्यार चन्द्र एवं बाबुलाल) तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 (मंगलीबाई व लच्छी बाई पुत्री धन्ना मीणा) भी मृतक (श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा की जायन्दा पुत्रियों) का नाम छोड़ दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरगढ़ से सजरा खानदान प्रमाण पत्र दिनांक 14.11.2024 को प्राप्त कर अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण के मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 14 एवं 15 स्वयं उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 11 की बाद तामील रिपोर्ट लगातार कोई उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता एवं उभयपक्ष बहस अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 14,15 द्वारा अपील में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार अपने आप को मृत्तक मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा के जायन्दा पुत्र व पुत्रियां बताते हुए मृत्तक मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा कृषि भूमियों में अपनी नाम हक हिस्से अनुसार जोड़े जाने की मांग की गई।

इसी क्रम में दौराने बहस उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 14—15 स्वयं के द्वारा जरिये अपीलार्थी अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलार्थी संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 को अपने सगे भाई बहिन बताते हुए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा भूमियों में अपीलार्थीगण के हक हिस्से अनुसार नाम जोड़े जाने हेतु लिखित अनापत्ति प्रमाण/सहमति पत्र प्रस्तुत करते हुए सरे इजलास स्वीकारोक्ति प्रदान की गई।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण मेरिट पर अच्छा होने तथा विवादित नामान्तरकरण विरासतन होने के कारण मियाद बिन्दु पर बाधित नहीं मानते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम बोमा पटवार हल्का मनोहरगढ़ तहसीलदार प्रतापगढ़ के खाता संख्या 92 में दर्ज आराजी संख्या 671 रकबा 0.78 हैक्टर एवं आराजी संख्या 684 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म चाह तथा आराजी संख्या 685 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 0.83 हैक्टर भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 के पैतृक मौरूषी (पिता एवं दादा श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा) की खातेदारी में दर्ज होना तत्कालिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2039 एवं नकल विवादित नामान्तरकरण संख्या 10 से प्रमाणित होना जाहीर हुआ है। वक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.05.1986 के दौरान अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील एवं दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा 14 व 15 तथा प्रस्तुत सजरा खानदान ग्राम पंचायत मनोहरगढ़ दिनांक 14.11.2024 के अनुसार अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 15 के मृत्तक मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा के जायन्दा पुत्र व पुत्रियां दर्शित होने से उनका नाम भी वक्ता विवादित इंतकाल संख्या 10 प्रविष्ट दिनांक 20.05.1986 के दौरान रिकार्ड पर अंकित होना चाहिये था।

प्रकरण में प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 92 राजस्व ग्राम बोमा पटवार हल्का मनोहरगढ़ तहसील प्रतापगढ़ के अनुसार विवादित नामान्तरकरण संख्या 10 से प्रभावित भूमियां मृत्तक मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा (पिता एवं दादा श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा) के उत्तराधिकारियों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (श्री वेस्ता पुत्र धन्ना) तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 11 के मृत्तक पिता जीवला एवं रतन पुत्र धन्ना पिता उदा मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे उक्त भूमियों में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से लगायत 15 तक का नाम उनके मृत्तक मौरूषी पुरूष श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा की खातेदारी में दर्ज भूमि रकबा क्षेत्र में कायम करते हुए संशोधित नामान्तरकरण निष्पादित किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.05.1986 का पुनः रिव्यु किया जाकर विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों में मृत्तक श्री धन्ना पुत्र उदा मीणा के वारिसान की विधिवत् जांच करते हुए मृत्तक की खातेदारी में दर्ज रही भूमियों में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 तक का विधिवत् हक हिस्सा निर्धारित करते हुए नियमानुसार नवीनतम नामान्तरकरण निष्पादित कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्व किया गया है।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ जिला कलक्टर प्रतापगढ़

(डॉ अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ